संख्या– 644 / II–2005–03–(01) / 2004

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनु सचिव,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 28 फरवरी, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष–2004–05 के लिए आयोजनागत मदों में अवशेष धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन के पत्र सं0–554 / वि0अनु0–1 / 2004 दिनांक 30.07.2004 शासनादेश सं0 1498 / II–2004–03 (01) / 03 दिनांक 22.04.2004, शासनादेश सं0 3127 / II–2004 –03 (01) / 2003 दिनांक 21.08.2004 एवं शासनादेश सं0 4464 / II–2004–03 (01) / 2003 दिनांक 29.11.2004, शासनादेश सं0 95 / II–2004–03–(01) / 2003 दिनांक 08.01.2005, शासनादेश सं0 482 / II–2005–03 (01) / 2004 दिनांक 16.02.2005 के क्रम में एवं आपके पत्र सं0 607 / मु0अ0 वि0 / बजट अनु0 / बी–1 सामान्य दिनांक 10.02.2005 एवं सं0 341 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1 सामान्य दिनांक 24.01.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद में संलग्न विवरणानुसार रू0 427.97 लाख (रूपय चार करोड़ सताईस लाख सतान्वें हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की भारत सरका से स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन / फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिं0 वि0 उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

क्रमशः.....2

6– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक भारत सरकार, महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण /सिंचाई विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में आयोजनागत पक्ष के उल्लिखित उप लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– 559 वि0 अनु0–3/2004 दिनांक, 28 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

संख्या– 644 /II–2005–03–(01)/2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3।
3– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– कोषाधिकारी /जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0 644/ II–2005–03 (01)/2004 दिनांक 28 फरवरी, 2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	पूर्व में निर्गत स्वीकृति	आवंटित धनराशि
1	4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक आयोजनागत 142–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें (जि0यो0) 91–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें–00– 24–बृहद निर्माण कार्य	1565.97	1896.00	1153.00	412.97
2	4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80–सामान्य आयोजनागत 004–शोध कार्यक्रम का विस्तार 03–निर्माण कार्य–00 42–अन्य व्यय	45.00	45.00	30.00	15.00
	योग	*1610.97*	*1941.00*	*1183.00*	*427.97*

(रूपये चार करोड़ सताईस लाख सतान्नवे हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।